सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 329 / 17 निर्णय दिनांकः—25.05.2018

1. कैलाशचन्द्र पुत्र काशीराम जाति पारिक निवासी नोखा तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11—01—2005
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेरके आदेश दिनांक 11—01—2005 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे।

तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट सद्भाविक कृषक नहीं तथा पेशा अकृषि कार्य है इसलिए अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट सद्भाविक कृषक नहीं है तथा पेशा अकृषि कार्य है अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—01—2005 के विरूद्व अपील दिनांक 06—11—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—01—2005 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 06—11—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवंटन प्रार्थना पत्र पर संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत भूमि आवंटन के लिए भूमिहीन का प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलांट की आय का प्राथमिक स्त्रोत ड्राईवर प्राईवेट है। ऐसी स्थिति में यहॉ यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट का सद्भाविक कृषक नहीं है तथा अपीलांट द्वारा अकृषि कार्य किया जा रहा है।

(3) आवंटन नियमों में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि आवेदक का मुख्य पेश कृषि कार्य होने पर ही वह भूमि आवंटन का पात्र माना जावेगा। प्रकरण में अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नोखा से फोटो फार्म प्राप्त होने पर तहसीलदार नोखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी सद्भाविक कृषक नहीं होने व अपीलांट का अकृषि कार्य अर्थात ड्राईवर पेशा होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को भूमि आवंटन का पात्र नहीं मानते हुए अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 11—01—2005 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर